निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 131/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गंगाराम बागडा पुत्र स्व. श्री सुवालाल बागडा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर बी-552, गोस्वामी तुलसीदास मार्ग मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. लालाराम बागडा पुत्र स्व. श्री सुवालाल बागडा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, खातियों की ढाणी के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. दामोदर बागडा पुत्र स्व. श्री सुवालाल बागडा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर 4/339, मालवीय नगर, जयपुर ।

[redacted]

3. हनुमान बागडा पुत्र स्व. श्री सुवालाल बागडा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर बी/552, शान्तीपथ, मालवीयनगर, जयपुर ।
4. जगदीश नारायण शर्मा
5. भोलाराम शर्मा

   पुत्रान स्व. श्री श्योबक्स जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर बी-550 मालवीय नगर, जयपुर ।
6. बाबूलाल शर्मा
7. राकेश शर्मा

   पुत्रान स्व. श्री भौरीलाल बागडा जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर बी-63, आनन्द विहार रेल्वे कालोनी, जगतपुरा, जयपुर ।
8. सब रजिस्ट्रार द्वितीय, सांगानेर ।

[redacted]

9. अतिरिक्त कलक्टर मुद्रांक व पंजीयन जयपुर ।
10. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2013 ब उनवानी गंगाराम बनाम लालाराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः-

1. श्री गणेश विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 32/2013 ब उनवानी गंगाराम बनाम लालाराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय जानबूझ कर बिना कुरेजात रिपोर्ट के लिए प्रकरण का निस्तारण करना चाहता है तथा प्रार्थी को विधिक न्याय से वंचित करना चाहते है। जानबूझ कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि बता कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है, जबकि आज भी राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि कृषि है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी मातहत न्यायालय जल्दबाजी में बिना सुनवाई किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये प्रकरण का जल्दबाजी में निर्णय करना चाहता है। जिस बाबत दावा उठाने के लिए कई बार बोल चुके है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

[redacted] 2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड जारी किये जाने के आदेश दिनांक 12.09.2019 को दिये जा चुके है। इसके उपरान्त भी आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीण के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है। इससे प्रार्थी का प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

[redacted]. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर